

निगोशिएबुल इन्स्टीट्यूट एक्ट 1881 द्वारा प्राप्ता जन जागिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञापित संख्या 20/25-56-pub-1 दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निर्दिष्ट भूद्वितीयों को सन् 2025 अर्थात् शक सम्वत् 1945-1946 एवं त्रिगम सम्वत् 2080-2081 के समस्त उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जागकाश घोषित करने हैं।

(संजय कुमार पाण्डेय) सहा० न्याय सहायक कुशीनगर	(अशोक कुमार श्रीवास्तव) न्याय सहायक कुशीनगर	(राजेश कुमार श्रीवास्तव) प्रशासनिक अधिकारी कुशीनगर	(अनिल कुमार) प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, कुशीनगर	(पी.के. राय) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कुशीनगर	(वैभव मिश्र) अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) कुशीनगर	(विशाल भारद्वाज) जिलाधिकारी कुशीनगर
--	--	---	---	--	--	--